

जिला योजना समिति

जिला पंचायत एवं नगरीय संस्थाओं द्वारा संरचित विकास योजनाओं को एकीकृत किये जाने का प्राविधान भारत का संविधान की धारा 243-ZD में किया गया है। प्रदेश में 73 वें एवं 74वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में पंचायतों एवं नगरीय संस्थाओं से सम्बंधित अधिनियमों में प्रति वर्ष विकास योजना तैयार किये जाने का प्राविधान है। इन अधिनियमों में जो व्यवस्था की गयी है, उसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गयी विकास योजना, क्षेत्र पंचायत को एवं क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को समेकित करके तैयार की गयी विकास योजना को जिला पंचायत को सन्दर्भित किये जाने का प्राविधान है; साथ ही जिला पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं को समेकित करते हुए तैयार की गयी विकास योजना को जिला योजना समिति को संदर्भित किये जाने का प्राविधान है। जनपद में स्थित नगरीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गयी विकास योजनाओं को सीधे जिला योजना समिति को संदर्भित किये जाने का प्राविधान है। पंचायतों एवं नगरीय संस्थाओं से प्राप्त विकास योजनाओं पर सम्यक रूप से विचार करने का अधिकार उल्लेख संविधान की धारा 243-ZD में निम्न प्रकार है:

243-ZD. Committee for District Planning - (1) There shall be constituted in every State at the District level, a District Planning Committee to consolidate the plans prepared by the Panchayats and the Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole

(2) The legislature of a State may, by law, make provision with respect to-

- (a) The composition of the District Planning Committees;
- (b) The manner in which the seats in such committees shall be filled :

Provided that not less than four-fifths of the total number of members of such Committee shall be elected by, and from amongst, the elected members of the Panchayat at the District Level and of the Municipalities in the district in proportion to the ratio between the population of the rural areas and of urban areas in the district;

- (c) The functions relating to District Planning which may be assigned to such Committees;
- (d) The manner in which the Chairperson of such Committees shall be chosen;

(3) Every District Planning Committee shall, in preparing the draft development plan,-

- (a) have regard to-

- (i) matters of common interest between the Panchayats and the Municipalities including spatial planning, sharing of water and other physical and natural resources, the integrated development of infrastructure and environmental conservation;
 - (ii) the extent and type of available resources whether financial or otherwise;
 - (b) consult such Institutions and Organisations as the Governor may, by order, specify.
- (4) The Chairperson of every District Planning Committee shall forward the development plan, as recommended by such Committee, to the Govt. of State.

2- इस प्रकार संविधान की धारा 243 ZD के अन्तर्गत व्यवस्थित जिला योजना समिति का गठन उत्तर प्रदेश में अधिनियम के माध्यम से किया गया है। उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999(प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा परिकल्पित नवीन नियोजन प्रक्रिया के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं:

- ❖ प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत द्वारा अपनी विकास योजना तैयार की जायेगी।
- ❖ क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को समेकित करते हुए, क्षेत्र की विकास योजना तैयार की जायेगी।
- ❖ जिला पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं को समेकित करते हुए तैयार की गयी विकास योजना को जिला योजना समिति को प्रस्तुत होगी।
- ❖ जनपद में स्थित नगरीय संस्थाओं द्वारा विकास योजनाओं को तैयार कर सीधे जिला योजना समिति को संदर्भित किया जायेगा।
- ❖ पंचायतों एवं नगरीय संस्थाओं से प्राप्त विकास योजनाओं पर सम्यक रूप से विचार करने का अधिकार जिला योजना समिति का होगा।
- ❖ जिला योजना समिति का कार्यक्षेत्र, जिला पंचायत एवं म्युनिसिपलिटिज द्वारा तैयार की गयी विकास योजनाओं पर उनके पारस्परिक हित, विशेष रूप से क्षेत्रीय नियोजन, पानी एवं अन्य भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी, अवस्थापना एवं पर्यावरणीय एकीकृत विकास पर विचार करते हुए, जनपद के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार कर, राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना है।
- ❖ समिति के 4/5 सदस्य, जिला पंचायत एवं म्युनिसिपलिटिज के निर्वाचित सदस्यों में से ग्रामीण एवं शहरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्वाचित होंगे।
- ❖ समिति के 1/5 सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा, जिसमें से :

- मंत्रि-मण्डल के नामनिर्दिष्ट एक मंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;
 - अध्यक्ष, जिला पंचायत ;
 - जिला मुख्यालय की नगरपालिका का नगर प्रमुख अथवा अध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो;
 - जिलाधिकारी- पदेन ;
 - अन्य सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार नामनिर्दिष्ट करे, नामित किया जा सकेगा।
- ❖ प्रत्येक जिले में समिति के सदस्यों की संख्या कम से कम 20 और 40 से अधिक नहीं होगी।
 - ❖ जनपद के सभी सांसद एवं विधायक को समिति के स्थायी आमन्त्रित होंगे।
 - ❖ मुख्य विकास अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा और जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी पदेन संयुक्त सचिव होगा।
 - ❖ समिति के सदस्यों के निर्वाचन का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जायेगा।
 - ❖ जिला योजना समिति के निम्न कृत्य होंगे:
 - ◆ राष्ट्रीय एवं राज्य योजना के उद्देश्यों के अधीन स्थानीय आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों का अभिज्ञान।
 - ◆ योजना के लिये जिला एवं ब्लाक संसाधनों की पार्श्विका तैयार करने के लिये आंकड़ों को ठोस आधार तैयार करने हेतु जिले की प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों से सम्बन्धित सूचना को एकत्र, संकलित तथा अद्यतन करना।
 - ◆ ग्राम, विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं को सूचीबद्ध करना।
 - ◆ प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों के अधिकतम तथा न्याय संगत उपयोग/ दोहन करने की दृष्टि से विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण।
 - ◆ योजना के उद्देश्यों एवं रणनीतियों के अनुरूप वार्षिक योजना एवं पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का निरूपण, संशोधन और समेकित (consolidate) करना।
 - ◆ जिले के लिए एक रोजगार योजना तैयार करना।
 - ◆ जिला योजना के वित्त पोषण हेतु वित्तीय संसाधनों का आंकलन।
 - ◆ समिति जिले में कार्यान्वित हो रही समस्त योजनाओं का अनुभवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा ।
 - ◆ जिला विकास योजना के सम्पूर्ण ढांचे के भीतर रहते हुए सेक्टरल

एवं सब-सेक्टरल योजनाओं हेतु परिष्वय का आवंटन।

- ◆ समग्र विकास की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग सुनिश्चित करना।
- ◆ विभिन्न कार्यों और योजनाओं के लिये स्थल चयन को अन्तिम रूप देना।

- ❖ समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार अवश्य आहूत की जायेगी।
- ❖ समिति को कतिपय उप समितियों के गठन का अधिकार होगा।
- ❖ जिला योजना को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ , राज्य सरकार जिला योजना परिष्वय की अधिकतम सीमा के अधीन, बजट में जिलावार धन की व्यवस्था करेगी और एक मुश्त धनराशि जिलों को आवंटित की जायेगी।
- ❖ जिलाधिकारी द्वारा जिला योजना के लिये वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी। साथ ही समिति योजनाओं के परिष्वय को परिवर्तित, पुनरीक्षित कर सकेगी और जिलाधिकारी द्वारा धन का पुनःआवंटन किया जायेगा।